IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सार्वभौमिक षिक्षा के उद्देष्यों की प्राप्ति में षिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रभावषीलता का विष्लेषणात्मक अध्ययन हेतु षिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम के तहत नामांकित छात्र व छात्राओं के अनुपात का अध्ययन

(इंदौर)षहर के संदर्भ में

डॉ.दिव्या विजयवर्गीय

सारांषः किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार उसकी भौतिक सम्पदा नहीं वरन प्रबुद्ध जनषक्ति होती है, जिसका निर्माण सुव्यवस्थित व व्यापक षिक्षा प्रणाली के माध्यम से होता है। भारतीय संविधान की धारा 45 में निम्नलिखित प्रावधान हैं –**''संविधान के लागू हेने के 10 वर्षों में 6–14 वर्ष तक की आयु के बालक–बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का सरकार प्रयास करेगी।** निःषुल्क और अनिवार्य बाल **षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009** (**आर.टी.ई.**) के जरिए 6–14 साल के सभी बच्चों के लिए षिक्षा को, कानूनी अधिकार बनाया गया है।

प्रस्तावना : मानव ने अपनी सीखने की प्रवृति से स्वयं को विकसित किया है। यह सीखने का सतत् प्रयास ही **षिक्षा** कहलाता है। "षिक्षा एक ऐसी सामाजिक एवं गतिषील प्रकिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है और सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाती है। **डा.एस.एस. माथुर** ने कहा है कि "एक निचित स्तर तक शिक्षा का सार्वजनीकरण ही निरक्षता की वृद्धि को रोकने एवं विकास की गति को तेज करने का एकमात्र उपाय है। "**अतः शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है – 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे जो अमीर हो या गरीब, लड़का हो या लड़की ग्रामीण हो या शहरी सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। 1 अप्रैल 2010** से निःषुल्क और अनिवार्य बाल **षिक्षा का अधिकार अधिनियम**–2009 (**आर.टी.ई.**) लागू किया जा चुका है। षिक्षा का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित मुख्य षब्दावलियाँ निम्न हैं –

षिक्षा :''बालक और मनुष्य के षरीर मस्तिष्क तथा आत्मा में पाये जाने वाले सर्वोत्म गुणों का सर्वांगीण विकास ही षिक्षा है''–महात्मा गांधी

मूल अधिकार : वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवष्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है।

अधिनियम : अधिनियम से तात्पर्य– निःषुल्क और अनिवार्य बाल षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 है।

अनिवार्य षिक्षा : अनिवार्य षिक्षा से तात्पर्य ऐसी प्राथमिकषषिक्षा से है, जिसे उपलब्ध कराने, उसमें प्रवेष देने, उपस्थिति और उसके पूर्ण होने को सुनिष्चित करने की बाध्यता समुचित सरकार की होती है।

निःषुल्क षिक्षा : बच्चे द्वारा ऐसी कोई षुल्क व्यय देय नहीं होगा जो कि उसकी प्रारम्भिक षिक्षा पूर्ण करने में बाधक हो।

षिक्षा का अधिकार अधिनियम से तात्पर्य : प्रारम्भ मे षिक्षा एक संवैधानिक अधिकार था। स्वतन्त्रता के लगभग छः दषक पष्चात् बच्चों के लिए निःषुल्क और अनिवार्य षिक्षा का सपना **बच्चों को निःषुल्क और अनिवार्य षिक्षा का अधिकार अधिनियम**(The Rigth Of Children ToFree And Compulsory Education Act (RTE) - 2009) के रूप में साकार हुआ। संक्षेप में इसे षिक्षा का अधिकार (**आरटीई**) अधिनियम कहा जाता है जो **1 अप्रेल, गुरूवार 2010** को लागू हुआ। षिक्षा का अधिकार अधिनियम से तात्पर्य है– '**6–14 आयु वर्ग के बच्चों को निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा प्रदान करना कानूनी रूप से बन्धनकारी हैं।**' अतः अब तक जो सात मूल अधिकार थे अब इन्हीं मूल अधिकारों की फेहरिस्त में षिक्षा का अधिकार भी सम्मलित हो गया है। निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के **अध्याय 4 के अन्तर्गत अनुच्छेद–45 में राज्य के नीति निर्देषक तत्वों** में सम्मलित था, जो कि कानूनी रूप से बंधनकारी नहीं था। पहली बार **षिक्षा का अधिकार अधिनियम** को **अध्याय 3 में अनुच्छेद–21** से जोड़कर इसे कानूनी रूप से बन्धनकारी बनाया गया है। इसके तहत 6 से 14 आयु के देष के सभी बच्चों को उनके मौलिक अधिकार की तरह षिक्षा के अधिकार का हक प्राप्त हो गया। निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा विधेयक–2009 भारतीय संसद द्वारा सन् 2009 में पारित षिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य षिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। षिक्षा को सभी बच्चों का मौलिक अधिकार बनाने वाला यह ऐतिहासिक कानून जम्मू–कष्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में 1 अप्रेल 2010 को लागू हुआ।

पूर्व षोध :

गुप्ता (2009) ने मध्यप्रदेष के जनषिक्षा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन में समाज की भूमिका, विद्यालय की विभिन्न व्यवस्थाओं पर प्रभाव, षिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् 5–14 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं के षत–प्रतिषत नामांकन के लिए जनषिक्षा अधिनियम के उत्तरदायित्व के स्तर का अध्ययन किया एवं पाया कि 1) जनषिक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के पष्चात् पालक–षिक्षक संघ के गठन से षिक्षक एवं पालकों के बीच की दूरियाँ कम हुई और उनके सम्बन्ध प्रगाढ़ एवं घनिष्ठ हुए। 2) समाज की सहभागिता से प्रारम्भिक षिक्षा के लिए 5–14 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं का पंजीयन विद्यालय में हुए, जिससे सर्व षिक्षा अभियान के लक्ष्य को कुछ सीमा तक प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हुई। 3) विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव बढ़ा।

डे एवं बेक (2011) ने ''निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण'' का अध्ययन किया। ष्न्यादर्ष के रूप में बिलासपुर के सरकारी विद्यालय की कक्षा पहली से आठवीं तक के 60 अध्यापकों को लिया गया एवं पाया कि 1) अधिकांष अध्यापक षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009से परिचित थे। 2) केवल 50 प्रतिषत अध्यापकों को उस आयु समूह एवं कक्षा की जानकारी थी जिनके लिए षिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी था। 3) 40 प्रतिषत से अधिक अध्यापकों को उन विद्यालयों के बारे में जानकारी थी जहाँ षिक्षा का अधिकार अधिनियम अमल में लाया जा रहा था। 4) केवल 38 प्रतिषत अध्यापकों को नए विद्यालय खोलने हेतु प्रावधानों एवं स्थितियों के बारे में जानकारी थी।

श्रीवास्तव (2011) ने ''षिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत षालाओं में प्रवेषित कक्षा पहली एवं कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन'' किया। न्यादर्ष के रूप में दुर्ग जिले से सत्र 2011–2012 में षिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेषित कक्षा पहली एवं कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों को चुना गया एवं पाया कि 1) निजी विद्यालय में षिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेषित कक्षा पहली एवं कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों के समायोजन में सार्थक अन्तर था। कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों का कक्षा पहली के विद्यार्थियों की तुलना में समायोजन अधिक था। 2) निजी विद्यालय में षिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेषित कक्षा पहली एवं कक्षा छठवीं के छात्र एवं छात्राओं के समायोजन में सार्थक अन्तर था। छात्राओं की समायोजन क्षमता छात्रों की तुलना में अधिक थी। 3) निजी विद्यालय में षिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेषित कक्षा पहली एवं कक्षा छठवीं के छात्र एवं छात्राओं का लिंगानुसार एवं आयु अनुसार अन्तःक्रिया पर उनके समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं था ।

बोरीवाल(2012) ने निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन (इन्दौर जिले के अन्तर्गत षासकीय प्राथमिक विद्यालयों के सन्दर्भ में) किया। न्यादर्ष के रूप में इन्दौर जिले के 50 षासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य को लिया गया एवं पाया कि– 1) ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर षासकीय प्राथमिक विद्यालयों में बालकों की उपस्थिति में अनियमितता थी । 2) अधिनियम के तहत् बच्चों को बिना उत्तीर्ण किए अगली कक्षा में प्रवेष देने के कारण बच्चों में उत्तीर्ण–अनुत्तीर्ण का भय खत्म होने के कारण षिक्षा के प्रति लापरवाही बढ़ रही थी, 3) बहुषिक्षण व्यवस्था के कारण बच्चों में षिक्षा के प्रति अरुचि थी। 4) पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक की कमी थी।

जोषी (2013) ने ''षिक्षा के मूलाधिकार के विषेष सन्दर्भ में प्राथमिक विद्यालयों की वर्तमान स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन''(इन्दौर विकासखण्ड के षासकीय एवं अषासकीय विद्यालयों के सन्दर्भ में किया। न्यादर्ष के रूप में यादृच्छिक विधि द्वारा प्रत्येक 10 षासकीय एवं 10 अषासकीय प्राथमिक विद्यालय से 20–20 षिक्षक, एवं 10–10 अभिभावकों को लिया गया एवं पाया कि 1) निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पष्चात् षासकीय प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में कोई विषेष अन्तर नहीं आया किन्तु अषासकीय विद्यालयों में तुलनात्मक रूप से बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई। 2) नामांकन में हुई वृद्धि अषासकीय विद्यालयों में सर्वाधिक आरक्षित समूह एवं वंचित समूह के बच्चों की थीं। 3) निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पष्चात षासकीय एवं अषासकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की नियमित उपस्थिति में वृद्धि हुई। 4) छात्रों की नियमित उपस्थिति में वृद्धि का प्रमुख कारण पालकों की समझाइष थी जो अधिनियम के प्रावधानोंनुसार हैं।

औचित्य : पूर्व षोधों को खोजने से यह ज्ञात हुआ है कि प्राथमिक षिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं उसमें आने वाली प्रषासनिक एवं षैक्षणिक समस्याओं से सम्बन्धित अनेक अध्ययन किए गए हैं। अतः षोधार्थी को **षिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)** से सम्बन्धित बहुत कम षोध कार्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही श्षाधार्थी को ऐसा कोई षोध प्राप्त नहीं हुआ जो इन्दौर षहर में **षिक्षा का अधिकार अधिनियम** के क्रियान्वयनसे सम्बन्धित हो, इसलिए षोधार्थी द्वारा अध्ययन हेतु प्रस्तुत समस्या का चयन किया गया।

षोध अध्ययन का उद्देष्य :

1 षिक्षा का अधिकार (**आर.टी.ई.**) अधिनियम के तहत नामांकित छात्र व छात्राओं के अनुपात का अध्ययन करना।

षोध अध्ययन की परिकल्पना :

1 षिक्षा का अधिकार (**आर.टी.ई.**) अधिनियम के तहत् नामांकित छात्र व छात्राओं के अनुपात में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

षोध अध्ययन की प्रविधि :

प्रस्तुत षोध अध्ययन में **सर्वेक्षण विधि** का प्रयोग किया गया। जिसके अन्तर्गत इन्दौर षहर के इन्दौर षहरी क्षेत्र के 10 जनषिक्षा केन्द्र से सम्बंधित 394 विद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया।

षोध विधि (तकनीक) :

प्रस्तुत षोध के अध्ययन हेतु अनुसंधान की असम्भाव्य न्यादर्षन तकनीक (Non Probability sampling Technique) की सोद्देष्य न्यादर्षन तकनीक(Purposive sampling Technique) का प्रयोग किया गया।

न्यादर्ष :

न्यादर्ष के रूप में इन्दौर षहरी क्षेत्र के चयनित विद्यालयों से एक–एक अध्यापक को **सौद्देष्य न्यादर्ष विधि** द्वारा न्यादर्ष के रूप में लिया गया। न्यादर्ष के रूप में केवल उन्हीं अध्यापकों को लिया गया जो कि षिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेषित बच्चों को पढ़ाते थे। इस प्रकार न्यादर्ष के रूप में 394 अध्यापकों को लिया गया। न्यादर्ष

के रूप में चयनित अध्यापक विभिन्न षैक्षणिक स्तर वाले एम.पी. बोर्ड एवं सी.बी.एस.ई. बोर्ड के स्कूल वाले, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा जानने वाले, महिला एवं पुरुष अध्यापक थे।

षोध उपकरण :

षिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नामांकित छात्र–छात्राओं का अनुपात जानने हेतु षोधार्थी द्वारा निर्मित बन्द प्रष्नावली का उपयोग किया गया। इस प्रष्नावली में 35 प्रष्न थे। प्रत्येक प्रष्न के तीन विकल्प– हाँ, नहीं एवं मालूम नहीं दिये गये थे। अध्यापकों को प्रष्नावली पढ़कर तीन विकल्पों में से जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प लगे उस पर सही का चिन्ह लगाना था। इस प्रष्नावली को पूर्ण करने के लिए कोई निष्चित समय–सीमा निर्धारित नहीं थी। प्रत्येक प्रष्न के प्रत्येक बिन्दु की आवृत्तिज्ञात कर प्रतिषत मान निकाला गया।

प्रदत्तों का संकलन :

प्रदत्तों के संकलन हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। षोधार्थी द्वारा षोध उपकरण का निर्माण करने के पष्चात् प्रदत्तों का संकलन किया गया। सर्वप्रथम षोधार्थी द्वारा षोध कार्य हेतु उपयोगी आवष्यक उपकरण का निर्माण किया गया। तत्पष्चात् जिला परियोजना समन्वयक बीजलपुर इन्दौर, जिला षिक्षा केन्द्र (डी.पी.सी.) के अधिकारी से मिलकर उन्हें षोध अध्ययन के उद्देष्य से परिचित करवाया गया एवं षोध अध्ययन हेतु आवष्यक आँकड़ों, जैसे इन्दौर जिले में ब्लॉक की संख्या, इन्दौर षहरी क्षेत्र में जनषिक्षा केन्द्र की संख्या, जनषिक्षा केन्द्र का नाम, जनषिक्षा केन्द्र प्रभारी के नाम, दूरभाष नम्बर, सत्र 2011–12, 2012–13, 2013–14 में षिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेषित बच्चों की सूची ली गई। ष्षोध कार्य करने हेतु 394 अध्यापकों को लिया गया। चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से मिलने के उपरान्त उनसे अध्यापकों से मिलने की अनुमति ली गई। षिक्षक–षिक्षिकाओं को वर्तमान षोध अध्ययन के उद्देष्य से अवगत कराया गया तथा आष्वासन दिया गया कि उनसे प्राप्त उत्तरों को पूर्णतया गोपनीय रखा जायेगा। तत्पष्चात् षिक्षक–षिक्षिकाएँ जो कि **आर.टी.ई**. अधिनियम के तहत प्रवेषित बच्चों को षिक्षा देते थे, उनसे दिए गए समय पर व्यक्तिषः सम्पर्क कर षोधार्थी द्वारा निर्मित प्रष्नावली दी गई तथा सुविधानुसार सभी उत्तरित प्रष्नावली पुनः वापस प्राप्त कर ली गई।

प्रदत्तों का विष्लेषण :

षिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नामांकित छात्र–छात्राओं के अनुपात का अध्ययन प्रतिषत मान सांख्यिकी द्वारा किया गया।

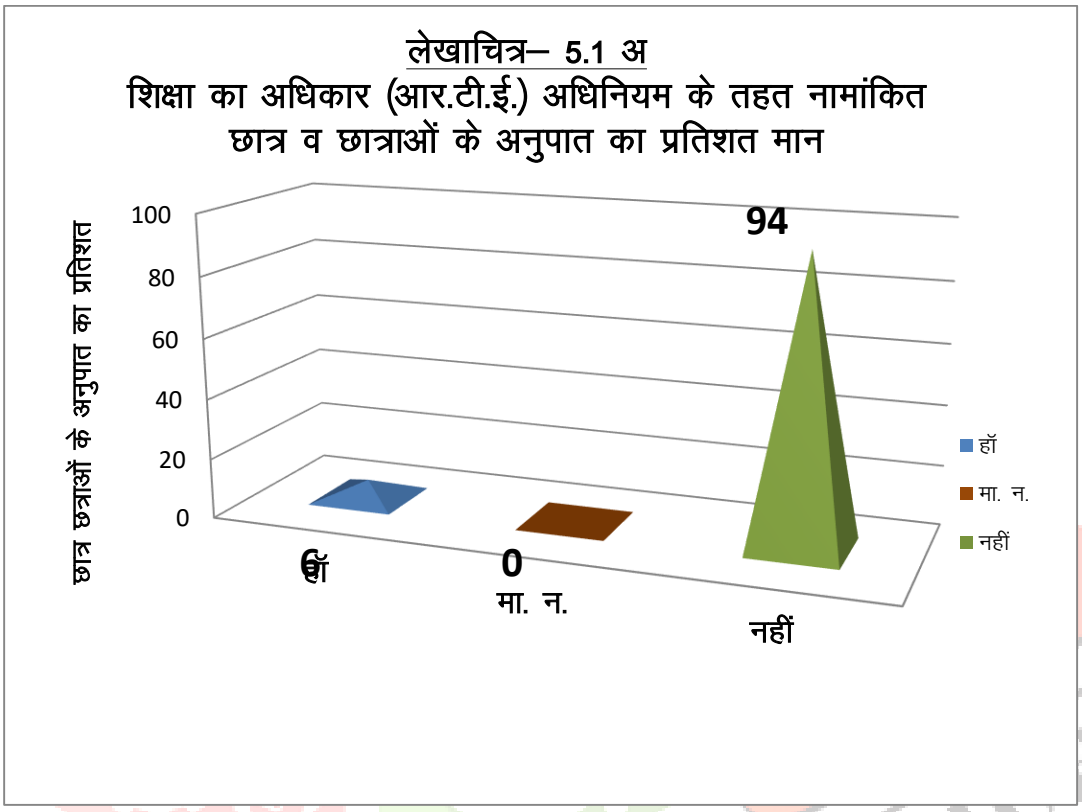

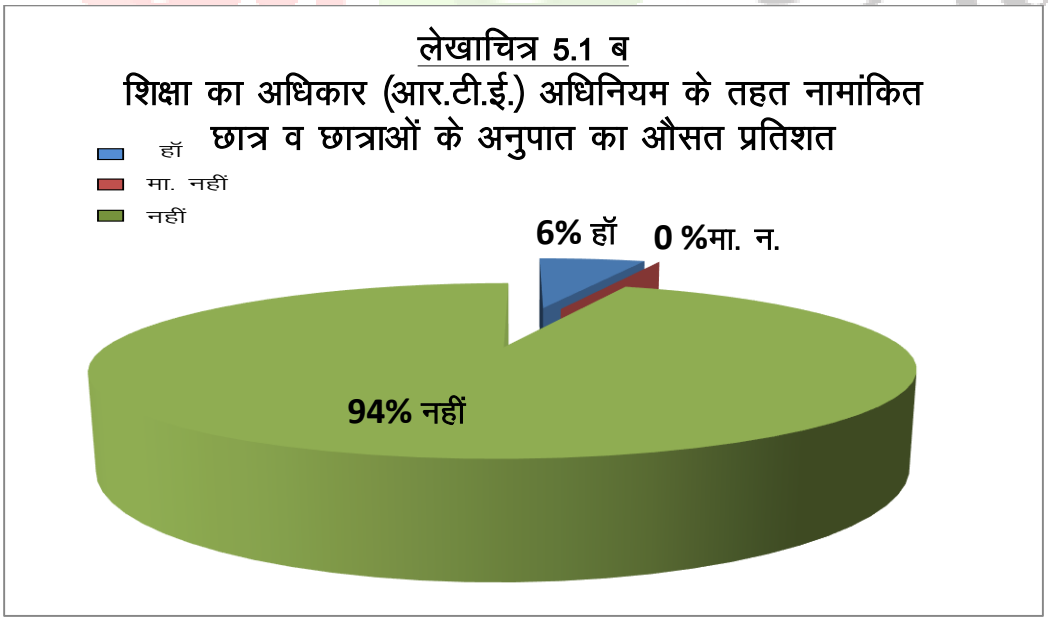

परिणाम :

षिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नामांकित छात्र–छात्राओं के अनुपात में अंतर पाया गया। 94 प्रतिषत विद्याालयों में छात्रों का अनुपात छात्राओं की तुलना में अधिक था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि :

अम्बेडकर,आर.एल. : ''मुफ्त एवं अनिवार्य बाल षिक्षा अधिकार विधेयक के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण एवं जागरूकता का अध्ययन'' प्राथमिक षिक्षक, एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली,जनवरी 2012, पृ. क्र.66–71

अरोड़ा, आर. : ''षिक्षा का मौलिक अधिकार कुछ मुद्दे और कुछ चुनौतियाँ'' भारतीय आधुनिक षिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली,जुलाई 2010, पृ.क्र. 5–15

अस्मिता : ''षिक्षा का अधिकार और षिक्षक विकास'' आर.टी.ई. विषेषांक, शासकीय षिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन(म.प्र.), 2010–2011

भारत का राजपत्र, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 9 अप्रैल 2010.

बघेल,एल.एस. : ''निःषुल्क और अनिवार्य बाल षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009–महत्वपूर्ण प्रावधान एवं चुनौतियां'' षैक्षिक पलाष, राज्य षिक्षक प्रषिक्षण मण्डल,भोपाल, जुलाई 2012, पृ.क्र. 3–47

भारद्वाज, आर. : ''षिक्षा का अधिकार अधिनियम : विभिन्न वर्गों की जागरूकता का विष्लेषणात्मक अध्ययन'' भारतीय आधुनिक षिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली,अप्रैल 2011, पृ.क्र. 52–68.

चौबे, ए. के. : ''आधुनिक भारत और प्राथमिक षिक्षा का विकास' प्राइमरी षिक्षक,एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली, 2004, पृ. क्र. 3–6

डे,एन. एवं बेक,बी. : ''द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एन्ड कम्पलसरी एड्यूकेषन एक्ट 2009: टीचर्स परसेप्षन ''एड्यूसर्च, जरनल ऑफ एड्यूकेषनल रिसर्च, रिसर्च ऑरगनाइजेषन, बिलासपुर, वॉल्युम–2, अक्टूबर 2011, पृ.क्र. 83–90

दुबे, आर. : ''षिक्षा का अधिकार' षक्ति पब्लिषर्स, दिल्ली, 2011

दुबे, बी. : ''प्राथमिक षिक्षा हेतु गठित ग्राम षिक्षा समिति के प्रति अभिभावक एवं षिक्षकों का दृष्टिकोण'' प्राथमिक षिक्षक, एन.सी.ई.आर.टी. दिल्ली, अक्तूबर 2011, पृ.क्र. 87–96

गुप्ता , एम. के. : ''षिक्षा का अधिकार कानून और षिक्षकों के उत्तरदायित्व'' प्राथमिक षिक्षक, एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली, अप्रैल 2012, पृ.क्र. 5–8

खेत्रपाल, बी. एस. : '' निःषुल्क और अनिवार्य बाल षिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009' खेत्रपाल पब्लिकेषन, इन्दौर, 2010

मध्यप्रदेष राजपत्र : ''मध्यप्रदेष जन षिक्षा अधिनियम 2002'' राजीव गांधी षिक्षा मिषन, स्कूल षिक्षा विभाग, मध्यप्रदेष शासन, भोपाल15 सितम्बर 2006

निःषुल्क और अनिवार्य बाल षिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (प्रमुख अंष) यूनिसेफ.

षिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बंध में दिषा निर्देषः मध्यप्रदेष षासन स्कूल षिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल, 2014

सिंह,एस. एवं जैन,एस.: ''राईट टू एड्यूकेषन एक्ट– प्रोबलम एन्ड चेलेन्जेस फ्री एन्ड कम्पलसरी एड्यूकेषन एक्ट'' षिक्षा मित्र, स्वामी प्रकाषन, आगरा, मार्च 2014, पृ.क्र. 64

षर्मा,बी.एवं महाषब्दे,एस. : ''षिक्षा के मौलिक अधिकार के प्रति षासकीय एवं अषासकीय विद्यालय के षिक्षक–षिक्षिकाओं की जागरूकता का अध्ययन'' एड्यूसर्च, जरनल ऑफ एड्यूकेषनल रिसर्च, बिलासपुर, वॉल्युम– 2, अक्टूबर 2011, पृ.क्र. 170–173

प्रतियोगिता दर्पण, मई 2010/1827/अनिवार्य षिक्षा अधिनियम.2009

पत्रिका 05 फरवरी 2013

http://education .nic.in

http://azadi. Me/node/318